



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 383 राँची, मंगलवार,
21 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
11 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश
2 अप्रैल, 2024

आदेश सं०-5/आरोप-1-7/2014 का०-2436--श्री अजय शेखर, सेवानिवृत्त झाप्र०से०, तत्कालीन सम्पदा पदाधिकारी-सह-सचिव- राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को सी०बी०आई० द्वारा **Case No.-RC-03(A)/2011-R** में दिनांक- 15.06.2011 को गिरफ्तार कर दिनांक- 16.06.2011 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-3646, दिनांक 05.07.2011 द्वारा दिनांक- 15.06.2011 से हिरासत अवधि तक के लिए निलंबित किया गया था एवं जीवन निर्वाह भुगतान हेतु श्री अजय शेखर का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची निर्धारित किया गया ।

2. हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं०-6041, दिनांक 24.09.2011 द्वारा दिनांक- 16.08.2011 से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया गया एवं श्री अजय शेखर का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची निर्धारित किया गया ।

3. मामले की समीक्षोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-7468, दिनांक 26.06.2012 द्वारा श्री अजय शेखर को आदेश निर्गत होने की तिथि से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के द्वारा श्री अजय शेखर को दिनांक 15.06.2011 से 26.06.2012 तक की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया है।

5. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा याचिका सं०- **W.P. (Cr.) No. 319/2011** में दिनांक 27.11.2015 को पारित आदेश द्वारा **Case No.-RC-03(A)/2011-R** दिनांक-25.10.2011 द्वारा आपराधिक कृत्य का लिये गये संज्ञान को निरस्त कर दिया गया।

6. श्री शेखर के विरुद्ध प्रासंगिक मामले में गठित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा-याचिका सं०- **W.P.(Cr.) No. 319/2011** में दिनांक 27.11.2015 को पारित आदेश में **Case No.-RC-03(A)/2011-R** द्वारा आपराधिक कृत्य का लिये गये संज्ञान को निरस्त करने संबंधी तथ्यों की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 2766 दिनांक- 02.04.2019 द्वारा श्री अजय शेखर, सेवानिवृत्त झारप्र०से०, तत्कालीन सम्पदा पदाधिकारी-सह-सचिव, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को इस मामले में आरोप मुक्त किया गया है।

7. याचिका सं०- **Cr. M.P No. 3219/2013** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 को पारित आदेश में **Case No.-RC-03(A)/2011-R** में विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, राँची के द्वारा दिनांक- 25.10.2011 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अजय शेखर, सेवानिवृत्त झारप्र०से०, तत्कालीन सम्पदा पदाधिकारी-सह-सचिव, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के निलंबन अवधि दिनांक- 15.06.2011 से 26.06.2012 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत पूर्ण वेतन एवं भत्ते (जीवन निर्वाह भत्ता को घटाकर) के साथ कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
